न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

A 1/10

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 191/2012

प्रार्थीगण *बनाम* **अप्रार्थी**

1.सुजाराम पुत्र गोमाराम
2.देवाराम पुत्र गोमाराम
3.फुलादेवी पत्नि मांगुराम
4.बजरंगलाल पुत्र मांगुराम
जाति जाट निवासीगण चितावा
तहसील कुचामनसिटी

1.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार
कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र धारा 136 LAND REVENU ACT

उपस्थित – श्री विनोदसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश

दिनॉक :– 21/1/15

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 136 **Land Revenue Act** 1956 के तहत का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम चितावा के गत खसरा नं.250 में आई हुई है जिसके नये खसरा नं.749,750,751,752,753,754,755 कुल रकबा 14.90 हैक्टर अंकित हुये है । प्रार्थीगण का सजरा खानदान प्रार्थना–पत्र में अंकित है जिसके मुताबिक गोमाराम (गोमल्या फौत) जिसके पुत्र मांगूराम,सूजाराम,देवाराम हुए । मांगूराम की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नि फूलादेवी ,बजरंगलाल पुत्र हुए । प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि में 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार अंकित चले आ रहे है प्रार्थीगण का वर्तमान में खसरा नम्बर 250 के नवीन ख.नं. 751 एवं 752 कुल रकबा 7.52 पर कब्जा काश्त है तथा इसी अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है । ग्राम चितावा के गत खसरा नम्बर 250 के पश्चिमी दिशा मे ट्रेस नक्शे में मार्क **A** से **B** लाईन सीधी है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी है उसमें किसकी भी तरफ का घुमाव/मोड़ नही है नक्शा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रति प्रस्तुत की है ,जिससे खसरा नं.250 की स्थिति वरवक्त सेटलमेन्ट उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी दिशा की लाईन जो दर्शित की गई है वो सीधी थी । उपरोक्त गत खसरा नम्बर 250 की लाईन को अप्रार्थी के सहयोगी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तरीके से तरमीम कर दी गई है । जबकि भू प्रबन्ध विभाग को उक्त नक्शे में तरमीम करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है । उक्त पश्चिमी दिशा को सीधी करने से किसी भी प्रकार से सहखातेदारो को क्षति नही पहुचने वाली है जिससे सहखातेदारान को अप्रार्थी नह बनाया गया है । उक्त नक्शा दुरूस्त करने से पूर्व सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा सम्बन्धित खातेदारन को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था जो नही दिया गया है । इसलिये प्रार्थना–पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है । प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम चितावा के गत खसरा नं.250 का नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमे मार्क **A to B** दर्शित किया गया है जिसे नवीन खसरा नं.751 एवं 752 मे नक्शे में पश्चिमी सीव पर लाईन को पुनः सीधी किये जाने के आदेश करने की कृपा करावें अर्थात खसरा नं.250 के पश्चिमी दिशा में लाईन को उत्तर से दक्षिण सीधी करने का आदेश फरमावे ।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन ... (नागौर)

n2/1

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया । तहसीलदार नावां/कुचामनसिटी के सम्मन तामिल सुदा शामिल मिसल है,जो गैर हाजिर है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–प़त्र मौका कमिश्नर पर सुनवाई कर भू–अभिलेख निरीक्षण चितावा से प्रश्नगत खसरा नम्बर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की कई,जिसकी पालना मे उक्त मौका कमिश्नर ने दिनॉक 17.12.2014 को रिपोर्ट तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत की । जो शामिल पत्रावली उपलब्ध है ।

प्रार्थीगण द्वारा गत खसरा नम्बर से सम्बन्धित नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति,मिलान क्षेत्रफल की प्रति, जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013की नकल,जमाबन्दी सम्वत 2066से 2069 की नकल प्रस्तुत की है ।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए इस्तदुआ अनुसार एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने का अनुतोष चाहा है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया । मौका कमिश्नर रिपोर्ट में मौके पर ख.नं.751,752 पश्चिमी सीमा सीधी बताई गई है । किसी प्रकार का घुमाव व मोड़ नही है । भू–प्रबन्ध के द्वारा लठ्ठा नक्शे में पश्चिमी सीमा मे ए से बी मार्क दिया गया है ,जबकि मौके पर किसी तरह की कमी बेशी नही होना बताया है । प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र मे खसरा नम्बर 751,752 में भू–प्रबन्ध के द्वारा लठ्ठा नक्शे में पश्चिमी सीमा में ए से बी मोड़ दिया गया है जबकि मौके पर सीधा है । रकबा में कोई कमी बेशी नही होती है । इसलिये खसरा नम्बर 751,752 में (भू–प्रबन्ध के द्वारा लठ्ठा नक्शे में पश्चिमी सीमा) मोड़ दिया गया है ,को दुरूस्त कर सीधा किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को दुरूस्ती के आदेश जारी हो । मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनाँक 2/6/15 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)